रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16102025-266964
CG-DL-W-16102025-266964

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 39] नई दिल्ली, अक्तूबर 5—अक्तूबर 11, 2025, शनिवार/आश्विन 13—आश्विन 19, 1947
No. 39] NEW DELHI, OCTOBER 5—OCTOBER 11, 2025, SATURDAY/ASVINA 13–ASVINA 19, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1765.— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री विजय शंकर तिवारी, अवर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को मणिपुर ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नामित करती है।

[फा. सं. 7/7/2025-आरआरबी]

कुमार श्यामल पार्थसारथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 1765.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby nominates Sh. Vijay Shankar Tiwari, Under Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Director on the Board of Manipur Rural Bank, with immediate effect and until further orders.

[F. No. 7/7/2025-RRB]

KUMAR SHYAMAL PARTHSARATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1766.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री संजय कुमार झा, अवर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अरुणाचल प्रदेश रुरल बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नामित करती है।

[फा. सं. 7/7/2025-आरआरबी]

कुमार श्यामल पार्थसारथी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 1766.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby nominates Sh. Sanjay Kumar Jha, Under Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Director on the Board of Arunachal Pradesh Rural Bank, with immediate effect and until further orders.

[F. No. 7/7/2025-RRB]

KUMAR SHYAMAL PARTHSARATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1767.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री विनोद कुमार, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को पुडुवाई भारतियार ग्राम बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नामित करती है।

[फा. सं. 7/7/2025-आरआरबी]

कुमार श्यामल पार्थसारथी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 1767.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby nominates Sh. Vinod Kumar, Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Director on the Board of Puduvai Bharathiar Grama Bank, with immediate effect and until further orders.

[F. No. 7/7/2025-RRB]

KUMAR SHYAMAL PARTHSARATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1768.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को मेघालय ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नामित करती है।

[फा. सं. 7/7/2025-आरआरबी]

कुमार श्यामल पार्थसारथी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 1768.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby nominates Sh. Jnanatosh Roy, Under Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Director on the Board of Meghalaya Rural Bank, with immediate effect and until further orders.

[F. No. 7/7/2025-RRB]

KUMAR SHYAMAL PARTHSARATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1769.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री तपन कुमार मंडल, उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को मिजोरम रुरल बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नामित करती है।

[फा. सं. 7/7/2025-आरआरबी]

कुमार श्यामल पार्थसारथी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 1769.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby nominates Sh. Tapan Kumar Mondal, Deputy Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Director on the Board of Mizoram Rural Bank, with immediate effect and until further orders.

[F. No. 7/7/2025-RRB]

KUMAR SHYAMAL PARTHSARATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1770.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री शैलेश कुमार, उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नामित करती है।

[फा. सं. 7/7/2025-आरआरबी]

कुमार श्यामल पार्थसारथी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 1770.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby nominates Sh. Shailesh Kumar, Deputy Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Director on the Board of Himachal Pradesh Gramin Bank, with immediate effect and until further orders.

[F. No. 7/7/2025-RRB]

KUMAR SHYAMAL PARTHSARATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1771.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री अजय कुमार मिश्रा, निदेशक, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नामित करती है।

[फा. सं. 7/7/2025-आरआरबी]

कुमार श्यामल पार्थसारथी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 1771.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby nominates Sh. Ajay Kumar Mishra, Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs as Director on the Board of Jharkhand Rajya Gramin Bank, with immediate effect and until further orders.

[F. No. 7/7/2025-RRB]

KUMAR SHYAMAL PARTHSARATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1772.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, सुश्री आइशा खान, उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नामित करती है।

[फा. सं. 7/7/2025-आरआरबी]

कुमार श्यामल पार्थसारथी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 1772.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby nominates Ms. Aisha Khan, Deputy Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Director on the Board of Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, with immediate effect and until further orders.

[F. No. 7/7/2025-RRB]

KUMAR SHYAMAL PARTHSARATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1773.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, सुश्री स्वागत आर भण्डारी, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को पंजाब ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नामित करती है।

[फा. सं. 7/7/2025-आरआरबी]

कुमार श्यामल पार्थसारथी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 1773.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby nominates Ms. Swagat R Bhandari, Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Director on the Board of Punjab Gramin Bank, with immediate effect and until further orders.

[F. No. 7/7/2025-RRB]

KUMAR SHYAMAL PARTHSARATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1774.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री कुमार श्यामल पार्थसारथी, अवर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नामित करती है।

[फा. सं. 7/7/2025-आरआरबी]

रत्नाकर झा, अवर सचिव

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 1774.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby nominates Sh. Kumar Shyamal Parthsarathi, Under Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Director on the Board of Uttarakhand Gramin Bank, with immediate effect and until further orders.

[F. No. 7/7/2025-RRB]

RATNAKAR JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1775.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री अनितेश कुमार, अवर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को नागालैण्ड रुरल बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नामित करती है।

[फा. सं. 7/7/2025-आरआरबी]

कुमार श्यामल पार्थसारथी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 1775.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby nominates Sh. Anitesh Kumar, Under Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Director on the Board of Nagaland Rural Bank, with immediate effect and until further orders.

[F. No. 7/7/2025-RRB]

KUMAR SHYAMAL PARTHSARATHI, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1776.— केंद्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़), भोपाल

क्रम संख्या.	कार्यालय का नाम
1	कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मध्य प्रदेश एवं)छत्तीसगढ़ (, भोपाल
2	कार्यालय आयकर महानिदेशक (अन्वेषण),भोपाल
3	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त भोपाल
4	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (सी.ए.एफ.ई.आर), भोपाल
5	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(केंद्रीय), भोपाल
6	कार्यालय प्रधान आयकर निदेशक (अन्वेषण), भोपाल
7	कार्यालय आयकर निदेशक (आसूचना एवं अपराधिक अन्वेषण),भोपाल
8	कार्यालय आयकर आयुक्त छूट, भोपाल
9	कार्यालय आयकर आयुक्त अपील -I, भोपाल
10	कार्यालय आयकर आयुक्त अपील -II, भोपाल
11	कार्यालय आयकर आयुक्त अपील -III, भोपाल
12	कार्यालय अपर /संयुक्त आयकर आयुक्त -(ए यू)(आर ई एफ ए सी)1(2)भोपाल, इटारसी
13	कार्यालय अपर /संयुक्त आयकर आयुक्त -(ए यू)(आर ई एफ ए सी)1(4), भोपाल, खंडवा
14	कार्यालय अपर संयुक्त आयकर आयुक्त/, ए यू.1(1), भोपाल
15	कार्यालय अपर संयुक्त आयकर आयुक्त/, ए यू.1(3), भोपाल
16	कार्यालय आयकर अधिकारी, हरदा
17	कार्यालय आयकर अधिकारी, बैतूल
18	कार्यालय आयकर अधिकारी, रायसेन
19	कार्यालय आयकर अधिकारी, सीहोर
20	कार्यालय आयकर अधिकारी, विदिशा
21	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, जबलपुर
22	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्तआर ई एफ ए) सी (.यू.ए)(1, जबलपुर
23	कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (आर ई एफ ए सी) (.यू.ए)1(4) जबलपुर,भोपाल (खंडवा)
24	कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (आर ई एफ ए सी) (.यू.ए)1(1) ,सतना
25	कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (.यू.ए)(आर ई एफ ए सी)1(2) जबलपुर,सागर
26	कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (आर ई एफ ए सी) (.यू.ए)1(4) जबलपुर,छिंदवाडा
27	कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (आर ई एफ ए सी), कटनी ,जबलपुर
28	कार्यालय आयकर अधिकारी (यू.ए)1(1) जबलपुर रीवा
29	कार्यालय आयकर अधिकारी (यू.ए)1(3)(6) जबलपुर, मंडला
30	कार्यालय आयकर अधिकारी, बालाघाट
31	कार्यालय आयकर अधिकारी, दमोह

32	कार्यालय आयकर अधिकारी, बीना
33	कार्यालय आयकर अधिकारी, सिवनी
34	कार्यालय आयकर अधिकारी, सिंगरोली
35	कार्यालय आयकर अधिकारी, शहडोल
36	कार्यालय आयकर अधिकारी, उमरिया
37	कार्यालय आयकर अधिकारी, रीवा
38	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, ग्वालियर
39	कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण),ग्वालियर
40	कार्यालय आयकर अधिकारी (छुट),ग्वालियर
41	कार्यालय आयकर अधिकारी (टीडी.एस.), ग्वालियर
42	कार्यालय आयकर अधिकारी, छतरपुर
43	कार्यालय आयकर अधिकारी, शिवपुरी
44	कार्यालय आयकर अधिकारी, मुरैना
45	कार्यालय आयकर अधिकारी, गुना
46	कार्यालय आयकर अधिकारी, टीकमगढ़
47	कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त (आर ई एफ ए सी), इंदौर
48	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, (आर ई एफ ए सी) वी.यू., इंदौर
49	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त आर - .यू .1, इंदौर
50	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (आर ई एफ ए सी),उज्जैन
51	कार्यालय आयकर आयुक्त,(अपील)-I, इंदौर
52	कार्यालय आयकर आयुक्त,(अपील)-II, इंदौर
53	कार्यालय आयकर आयुक्त,(आईटीएटी),इंदौर
54	कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील)-उज्जैन
55	कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (.अन्वे),इंदौर
56	कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (टीडीएस),इंदौर
57	कार्यालय आयकर अधिकारी,(आई एंड सी आई (,इंदौर
58	कार्यालय आयकर अधिकारी,(छूट(, इंदौर
59	कार्यालय आयकर अधिकारी(ऑडिट), इंदौर
60	कार्यालय आयकर अधिकारी (टीडीएस), उज्जैन
61	कार्यालय आयकर अधिकारी,(छूट(, उज्जैन
62	कार्यालय आयकर अधिकारी ,धार
63	कार्यालय आयकर अधिकारी,मंदसौर
64	कार्यालय आयकर अधिकारी,नीमच
65	कार्यालय आयकर अधिकारी,देवास
66	कार्यालय आयकर अधिकारी,शाजापुर
67	कार्यालय आयकर अधिकारी,खरगौन
68	कार्यालय आयकर अधिकारी,बुरहानपुर
69	कार्यालय आयकर अधिकारी(आर.ई.एफ.ए.सी)(वी.यू.)1(1)3, इंदौर / रतलाम
70	कार्यालय आयकर अधिकारी, सेंधवा
71	कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.एफ.ए.सी)(वी.यू.)1(3)4, इंदौर/ देवास

72	कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.एफ.ए.सी)(आर.यू.)1(1)3, उज्जैन / रतलाम
	मुख्य आयकर आयुक्त, रायपुर
1	कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, रायपुर
2	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, रायपुर
3	कार्यालय आयकर आयुक्त अपील-I, रायपुर
4	कार्यालय आयकर आयुक्त अपील-II, रायपुर
5	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (आर ई एफ ए सी), बिलासपुर
6	कार्यालय आयकर आयुक्त, अपील, भिलाई
7	कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, भिलाई
8	कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, कोरवा
9	कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण), रायपुर
10	कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (आर ई एफ ए सी) (.ए.यू)1(4)रायपुर
11	कार्यालय आयकर अधिकारी (ए.यू)1(1)6, रायपुर भाटापारा /
12	कार्यालय आयकर अधिकारी (ए.यू)1(2)6, रायपुर / मनेंद्रगढ़
13	कार्यालय आयकर अधिकारी (ए.यू)1(4)6, रायपुर / भिलाई
14	कार्यालय आयकर अधिकारी (ए.यू)1(2), बिलासपुर / कोरबा
15	कार्यालय आयकर अधिकारी (ए.यू)1(2)4, बिलासपुर / अंबिकापुर
16	कार्यालय आयकर अधिकारी (ए.यू)1(2)5, बिलासपुर / रायगढ़
17	कार्यालय आयकर अधिकारी, धमतरी
18	कार्यालय आयकर अधिकारी, जगदलपुर
19	कार्यालय आयकर अधिकारी, अंबिकापुर
20	कार्यालय आयकर अधिकारी, राजनंदगांव
21	कार्यालय आयकर अधिकारी, महासमुंद

[फा. सं. ई-30018/1/2024- डीडीओएल]

प्रीति सेलारे, उप निदेशक (राजभाषा)

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 7th October, 2025

S.O. 1776.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies, the following offices under Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue where more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi:

PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX (MP & CHHATTISGARH), BHOPAL

Ser. No.	Name of Office
1.	O/o The Principal Chief Commissioner Of Income Tax(Madhya Pradesh and Chhattisgarh), Bhopal
2.	Office of the Director General of Income Tax (Investigation), Bhopal
3.	Office of the Principal Commissioner of Income Tax, Bhopal
4.	Office of the Principal Commissioner of Income Tax (REFAC), Bhopal
5.	Office of the Principal Commissioner of Income Tax (Central), Bhopal
6.	O/o The Principal Director Of Income Tax(investigation),Bhopal
7.	O/o The Directorate Of Income Tax (Intelligence and Criminal Investigation),Bhopal
8.	O/o The Commissioner Of Income Tax Exemption, Bhopal
9.	O/o The Commissioner Of Income Tax Appeal-I, Bhopal
10.	O/o The Commissioner Of Income Tax Appeal-II, Bhopal

11.	O/o The Commissioner Of Income Tax Appeal-III, Bhopal
12.	O/o The Additional/Joint Commissioner Of Income Tax (REFAC) (AU)-1(2) Bhopal, Itarsi
13.	O/o The Additional/Joint Commissioner Of Income Tax (REFAC) (AU)-1(4)Bhopal, Khandwa
14.	O/o The Additional/Joint Commissioner Of Income Tax (AU)-1(1)Bhopal
15.	O/o The Additional/Joint Commissioner Of Income Tax (AU)-1(3) Bhopal,
16.	O/o The Income Tax Officer, Harda
17.	O/o The Income Tax Officer, Betul
18.	O/o The Income Tax Officer, Raisen
19.	O/o The Income Tax Officer, Sehore
20.	O/o The Income Tax Officer, Vidisha
21.	O/o The Principal Commissioner Of Income Tax, Jabalpur
22.	O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(REFAC)(AU-1), Jabalpur
23.	O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(REFAC)(AU)-1(4) Jabalpur, Bhopal (Khandwa)
24.	O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(REFAC)(AU)-1(1) Satna
25.	O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(REFAC)(AU)-1(2)Jabalpur, Sagar
26.	O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(REFAC)(AU)-1(4)Jabalpur, Chhindwara
27.	Office of the Additional Commissioner of Income Tax (REFAC) (AU)1(4) Jabalpur, Chhindwara
28.	Office of the Income Tax Officer (AU) 1(1) Jabalpur Rewa
29.	O/o Income Tax Officer (AU)1(3)(6) Jabalpur, Mandla
30.	Office of Income Tax Officer, Balaghat
31.	O/o The Income Tax Officer,Damoh
32.	O/o The Income Tax Officer,Bina
33.	O/o The Income Tax Officer,Siwani
34.	O/o The Income Tax Officer,Singrauli
35.	O/o The Income Tax Officer,Shahdol
36.	O/o The Income Tax Officer,Umaria
37.	O/o The Income Tax Officer,Rewa
38.	O/o The Principal Commissioner Of Income Tax,Gwalior
39.	O/o Additional Director Of Income Tax(Investigation),Gwalior
40.	O/o The Income Tax Officer)Exemption(,Gwalior
41.	O/o The Income Tax Officer)TDS(,Gwalior
42.	O/o The Income Tax Officer,Chhatarpur
43.	O/o The Income Tax Officer,Shivpuri
44.	O/o The Income Tax Officer,Morena
45.	O/o The Income Tax Officer,Guna
46.	O/o The Income Tax Officer,Tikamgarh
47.	O/o The Chief Commissioner Of Income Tax(REFAC), Indore
48.	O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(REFAC), VU-1, Indore
49.	O/o The Principal Commissioner Of Income Tax,RU-1, Indore
50.	O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(REFAC), Ujjain
51.	O/o The Commissioner Of Income Tax Appeal-I, Indore
52.	O/o The Commissioner Of Income Tax Appeal-II, Indore
53.	O/o The Commissioner Of Income Tax ITAT,Indore
54.	O/o The Commissioner Of Income Tax (Appeal)- Ujjain
55.	O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(Investigation), Indore
56.	O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(TDS), Indore
57.	O/o The Income Tax Officer,(Intelligence and Criminal Investigation),Indore
58.	O/o The Income Tax Officer,(exemption),Indore
59.	O/o The Income Tax Officer,(Audit),Indore
60.	O/o The Income Tax Officer,(TDS),Ujjain
61.	O/o The Income Tax Officer,(Exemption),Ujjain
62.	O/o The Income Tax Officer, Dhar
63.	O/o The Income Tax Officer, Mandsor
64.	O/o The Income Tax Officer, Nimach
65.	O/o The Income Tax Officer, Dewas
66.	O/o The Income Tax Officer,Shajapur
67.	O/o The Income Tax Officer,Khargone
68.	O/o The Income Tax Officer, Burhanpur
69.	O/o The Income Tax Officer(REFAC)(VU)1(1)3,Indore / Ratlam

70.	O/o The Income Tax Officer, Sendhwa
71.	O/o The Income Tax Officer(REFAC)(VU)1(3)4,Indore / Dewas
72.	O/o The Income Tax Officer(REFAC)(RU)1(2)3,Ujjain / Ratlam
CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, RAIPUR	
1.	O/o The Chief Commissioner Of Income Tax, Raipur
2.	O/o The Principal Commissioner Of Income Tax, Raipur
3.	O/o The Commissioner Of Income Tax,Appeal-I, Raipur
4.	O/o The Commissioner Of Income Tax,Appeal-II, Raipur
5.	O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(REFAC), Bilaspur
6.	O/o The Commissioner Of Income Tax, Appeal, Bilaspur
7.	O/o The Additional Commissioner Of Income Tax, Bhilai
8.	O/o The Additional Commissioner Of Income Tax, Korba
9.	O/o The Additional Director Of Income Tax,(Investigation),Raipur
10.	O/o The Additional Commissioner Of Income Tax (REFAC) (AU)1(4), Raipur
11.	O/o The Income Tax Officer(AU)1(1)6,Raipur / Bhatapara
12.	O/o The Income Tax Officer(AU)1(2)6,Raipur / Manendragarh
13.	O/o The Income Tax Officer(AU)1(4)6,Raipur / Bhilai
14.	O/o The Income Tax Officer(AU)1(2),Bilaspur / Korba
15.	O/o The Income Tax Officer(AU)1(2)4,Bilaspur / Ambikapur
16.	O/o The Income Tax Officer(AU)1(2)5,Bilaspur / Raigarh
17.	O/o The Income Tax Officer, Dhamtari
18.	O/o The Income Tax Officer, Jagdalpur
19.	O/o The Income Tax Officer, Ambikapur
20.	O/o The Income Tax Officer, Rajnandgaon
21	O/o The Income Tax Officer, Mahasamund

[F. No. E-30018/1/2024- DDOL]

PREETI SELLARE, Dy. Director (OL)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(दंत शिक्षा अनुभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

का.आ. 1777.—दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, भारतीय दंत परिषद के परामर्श के पश्चात, उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-I में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग-I में क्रम संख्या 156 के सामने कॉलम 2 और 3 की मौजूदा प्रविष्टियों में, **अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ** द्वारा **डी.जे. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, मोदी नगर** के एमडीएस छात्रों के संबंध में प्रदान की गई दंत डिग्री की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टियां डाली जाएंगी, अर्थात:

डी.जे. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, मोदी नगर	
प्रोस्थोडोन्टिक्स और क्राउन एवं ब्रिज (6 सीटों के साथ, यदि 13.11.2024 को या उसके बाद प्रदान की जाती है)	एमडीएस (प्रोस्थोडोन्टिक्स और क्राउन एवं ब्रिज) **अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ**

[फा. सं. वी.12017/17/2025-डीई (भाग.)]

अमित कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Dental Education Section)

New Delhi, the 29th September, 2025

S.O. 1777.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Central Government, after consultation with the Dental Council of India, hereby, makes the following amendments in Part-I of the Schedule to the said Act, namely:-

In the existing entries of column 2 & 3 against Serial No. 156, in Part-I of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948) pertaining to recognition of Dental Degrees awarded by **Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow** in respect of MDS students of **D.J. College of Dental Sciences & Research, Modi Nagar** the following entries shall be inserted, namely:

D.J. College of Dental Sciences & Research, Modi Nagar	
Prosthodontics and Crown & Bridge (with 6 seats, if granted on or after 13.11.2024)	MDS (Prosthodontics and Crown & Bridge) **Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow**

[F. No. V.12017/17/2025-DE(Pt.)]

AMIT KUMAR, Under Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

का.आ. 1778.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) अधिनियम,1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12, के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेसर्स कोटेक्ना इंस्पेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंजिल, सी-5, जी.के. प्रिंट हाउस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल एस्टेट, कप्पाराडा, कांचरापालम, विशाखापटनम – 530008 (जिसे एतद्पश्चात उक्त अभिकरण कहा जाएगा) को इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना सं० का.आ. 3975 तथा दिनांक 20 दिसम्बर,1965 की अधिसूचना सं. का.आ.3978 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क समूह-I, अर्थात लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, फेरो मैंगनीज तथा बाक्साइट और समूह –II, अर्थात क्रोम अयस्क के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन विशाखापटनम पत्तन और गंगावरम पत्तन में उक्त खनिज और अयस्क का निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रुप में मान्यता देती है, अर्थात् :

(i) यह अभिकरण, खनिज और अयस्क समूहनियम (निरीक्षण) । का निर्यात-, तथा खनिज 1965 नियम (निरीक्षण) ।। का निर्यात-और अयस्क समूह, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की जाँच करने के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नामित अधिकारियों को पर्याप्त सहयोग और सहायता प्रदान करेगी; और

(ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यो का निष्पादन करने के लिए, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए निर्देशों से आबद्ध होंगी ।

[फा. सं. के-16014/7/2025-निर्यात निरीक्षण]

सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 12th August, 2025

S.O. 1778.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s. Cotecna Inspection India Private Limited, 2nd Floor, C-5, G.K. Print House Building, Industrial Estate, Kapparada, Kancharapalem, Visakhapatnam - 530008 (hereinafter referred to as said agency), as an agency for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the inspection of Minerals & Ores, Group-I, namely, Iron Ore, Manganese Ore, Ferro Manganese and Bauxite, and Group-II, namely, Chrome Ore as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the official Gazette vide number S.O. 3975 dated 20th December, 1965 and S.O. 3978 dated 20th December, 1965 respectively, prior to export of the said Minerals and Ores at Visakhapatnam Port and Gangavaram Port subject to the following conditions, namely: -

(i) the said agency shall extend adequate cooperation and assistance to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965 and the Export of Minerals and Ores – Group II (Inspection) Rules, 1965; and

(ii) the said agency, in performance of their function as specified in this notification shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council, may give in writing from time to time.

[F. No. K-16014/7/2025-Export Inspection]

SIDDHARTH MAHAJAN, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

का.आ. 1779.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12, के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स टीसीआरसी क्वालिटी कंट्रोल्स एल एल पी, 10/464/पीएल/3, प्रथम तल, बिजी बी स्कूल के पीछे स्थित, डेस्टेरो, वास्को द गामा, गोवा-403802 (जिसे एतद्पश्चात उक्त अभिकरण कहा जायेगा), को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के लिए, वाणिज्य मंत्रालय की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना की सं॰का.आ. 3975 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क समूह-।, अर्थात लौह अयस्क और बॉक्साइट के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन मोरमुगाओ पत्तन में उक्त खनिज और अयस्क के निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रुप में मान्यता देती है, अर्थात् :

(i) यह अभिकरण, खनिज और अयस्क समूह-। का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की जाँच करने के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा निमित्त अधिकारियों को पर्याप्त सहयोग और सहायता प्रदान करेगी;

(ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यो का निष्पादन करने के लिए, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए निर्देशों से आबद्ध होंगी ।

[फा. सं. के-16014/5/2025-निर्यात निरीक्षण]

सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 12th August, 2025

S.O. 1779.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government now recognizes, M/s TCRC Quality Controls LLP, 10/464/PL/3, First Floor, Situated Behind Busy Bee School, Desterro, Vasco Da Gama, Goa-403802 (hereinafter referred to as the said agency), as an agency for three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the inspection of Minerals & Ores, Group - I, namely, Iron Ore and Bauxite, as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the Official Gazette *vide* number S.O.3975 dated 20th December, 1965 respectively, before export of the said Minerals and Ores at

Mormugao Port, subject to the following conditions, namely:-

(i) the said agency shall extend adequate cooperation and assistance to the officers nominated by the Export Inspection Council on this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores – Group I (Inspection) Rules, 1965;

(ii) the said agency, in performance of their function as specified in this notification, shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council may give, in writing from time to time.

[F. No. K-16014/5/2025-Export Inspection]

SIDDHARTH MAHAJAN, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

का.आ. 1780.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) अधिनियम,1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12, के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेसर्स सुपरिन्टेन्डेन्स कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नालदा शाखा, पी.ओ.-नालदा, बारबिल, जिला - केंदुझर, ओडिशा-758035 (जिसे एतद्पश्चात उक्त अभिकरण कहा जाएगा) को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 संख्या का.आ. 3975 में उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क (समूह-।) नामत:, लौह् अयस्क के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन पारादीप पत्तन तथा धामरा पत्तन, में उक्त खनिज और अयस्क का निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रुप में मान्यता देती है, अर्थात् :

(i) यह् अभिकरण, खनिज और अयस्क समूह-। का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की जाँच करने के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नामित अधिकारियों को पर्याप्त सह्योग और सहायता प्रदान करेगी; और

(ii) यह् अभिकरण, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यो का निष्पादन करने के लिए, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए निर्देशों से आबद्ध होंगी ।

[फा. सं. K-16014/2/2025-निर्यात निरीक्षण]

सिद्धार्थ मह्ाजन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 12th August, 2025

S.O. 1780.— In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s. Superintendence Company of India Private Limited, Nalda Branch, P.O.-Nalda, Barbil, Dist. Kendujhar, Odisha-758035 (hereinafter referred to as said agency), as an agency for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the inspection of Minerals and Ores (Group-I), namely, Iron Ore as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the official Gazette vide number S.O. 3975, dated the 20th December, 1965, prior to export of the said Minerals and Ores at Paradip Port and Dhamra Port subject to the following conditions, namely: -

(i) the said agency shall extend adequate cooperation and assistance to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965; and

(ii) the said agency, in performance of their function as specified in this notification shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council, may give in writing from time to time.

[F. No. K-16014/2/2025-Export Inspection]

SIDDHARTH MAHAJAN, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2025

का.आ. 1781.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) अधिनियम,1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12, के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेसर्स सीसीआईसी, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 2/213, शिवालयम

स्ट्रीट, मुथुकुर गांव तथा मंडल, एसपीएसआर, नेल्लोर-524344 (जिसे एतद्पश्चात उक्त अभिकरण कहा जाएगा) को इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना सं॰ का.आ. 3975 तथा दिनांक 20 दिसम्बर,1965 की अधिसूचना सं. का.आ. 3978 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क समूह-I, अर्थात लौह अयस्क तथा बाक्साइट और समूह –II, अर्थात बैराइट्स के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन कृष्णापटनम पत्तन में उक्त खनिज और अयस्क का निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रुप में मान्यता देती है, अर्थात् :

(i) यह अभिकरण, , खनिज और अयस्कों के निर्यात - समूह I (निरीक्षण) नियम, 1965 और खनिज और अयस्कों के निर्यात - समूह II (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की जाँच करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा नामित अधिकारियों को पर्याप्त सहयोग और सहायता प्रदान करेगी; और

(ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यो का निष्पादन करने के लिए, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए निर्देशों से आबद्ध होंगी ।

[फा. सं. के-16014/8/2025-निर्यात निरीक्षण]

सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 4th September, 2025

S.O. 1781.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s. CCIC India Private Limited, 2/213, Sivalayam Street, Muthukur Village & Mandal, SPSR, Nellore-524344 (hereinafter referred to as said agency), as an agency for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the inspection of Minerals & Ores, Group-I, namely, Iron Ore and Bauxite, and Group-II, namely, Barytes as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the official Gazette vide number S.O. 3975 dated 20th December, 1965 and S.O. 3978 dated 20th December, 1965 respectively, prior to export of the said Minerals and Ores at Krishnapatnam Port subject to the following conditions, namely: -

(i) the said agency shall extend adequate cooperation and assistance to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965 and the Export of Minerals and Ores – Group II (Inspection) Rules, 1965; and

(ii) the said agency, in performance of their function as specified in this notification shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council, may give in writing from time to time.

[F. No. K-16014/8/2025-Export Inspection]

SIDDHARTH MAHAJAN, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 1782.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) अधिनियम,1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12, के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेसर्स टीसीआरसी क्वालिटी कंट्रोल्स एल एल पी, अनु क्रमांक 11-7 बंगरा कुलूर गाँव, द्वार संख्या 1-18/43(2), भूतल, के सी टी डी बिल्डिंग, कोत्तरा चौकी, महेश पी यु कॉलेज के पास, मंगलौर – 575006 (कर्नाटक) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अभिकरण कहा जाएगा) को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 संख्या का.आ. 3975 में उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क (समूह-I) नामत:, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और बॉक्साइट के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंगलौर पत्तन, में उक्त खनिज और

अयस्क का निरीक्षण और मेसर्स टीसीआरसी क्वालिटी कंट्रोल्स एल एल पी, प्रयोगशाला, मुंबई, महाराष्ट्र में उक्त खनिजों और अयस्कों का परीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रुप में मान्यता देती है, अर्थात् :

(i) यह अभिकरण, खनिज और अयस्क समूह-I का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की जाँच करने के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नामित अधिकारियों को पर्याप्त सहयोग और सहायता प्रदान करेगी; और

(ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यो का निष्पादन करने के लिए, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए निर्देशों से आबद्ध होंगी।

[फा. सं. के-16014/4/2025-निर्यात निरीक्षण]

सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 1782.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s TCRC Quality Controls LLP, S. No. 11-7 of Bangra Kuloor Village, Door No. 1-18/43(2), Ground Floor, KCTD Building, Kottara Chowki, Near Mahesh PU College, Mangalore-575006 (Karnataka) (hereinafter referred to as said agency), as an agency for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the inspection of Minerals and Ores (Group-I), namely, Iron Ore, Manganese Ore and Bauxite as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the official Gazette vide number S.O. 3975, dated the 20th December, 1965 and testing of said Minerals and Ores at M/s TCRC Quality Controls LLP Laboratory at Mumbai, Maharashtra, prior to export of the said Minerals and Ores at Mangalore Port subject to the following conditions, namely: -

(i) the said agency shall extend adequate cooperation and assistance to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965; and

(ii) the said agency, in performance of their function as specified in this notification shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council, may give in writing from time to time.

[F. No. K-16014/4/2025-Export Inspection]

SIDDHARTH MAHAJAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.10.16 16:22:21 +05'30'